UPBG010021752026

न्यायालयः सत्र न्यायाधीश, बागपत।
उपस्थितः मनोज कुमार–III, एच.जे.एस.
जे०ओ०कोड–यू०पी० 1909

दाण्डिक निगरानी संख्या–127/2026

1. श्रीमति मुनेश देवी पत्नी राजेन्द्र सिंह व्यवसाय –पता राजद्रास हाइटस सैक्टर–9 वैशाली रोड गाजियाबाद निवासी मकान नम्बर 219 सेक्टर 15 वसुन्धरा गाजियाबाद।

.....निगरानीकर्ता।

बनाम

1. नरेश कुमार धामा उर्फ नरेश चौधरीी पुत्र जय सिंह मूल निवासी कस्बा खेकड़ा मौहल्ला रामपुर, थाना खेकड़ा, जिला बागपत।
2. उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा जिला मजिस्ट्रेट, बागपत।

.....विपक्षीगण।

अन्तर्गत धारा–438 बी.एन.एस.एस.

निर्णय

प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी न्यायालय सिविल जज जू.डि.–द्वितीय/जे.एम., बागपत द्वारा परिवाद संख्या 706/2020, अन्तर्गत धारा 138 एन.आई.एक्ट, थाना खेकड़ा, जिला बागपत में पारित आदेश दिनांकित 13.02.2026 जिसके द्वारा निगरानीकर्ता के प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 39 भारतीय साक्ष्य अधिनियम एवं धारा 231 बी.एन.एस.एस. दिनांकित 01.12.2025 को निरस्त किया गया है, से क्षुब्ध होकर योजित की गई है।

2. मामले के तथ्य संक्षेप में हैं कि निगरानीकर्ता/अभियुक्ता श्रीमति मुनेश देवी द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष लम्बित परिवाद संख्या 706/2020, अन्तर्गत धारा 138 एन.आई.एक्ट, थाना खेकड़ा, जिला बागपत में एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 39 भारतीय साक्ष्य अधिनियम एवं धारा 231 बी.एन.एस.एस. दिनांकित 01.12.2025 प्रस्तुत किया गया था, जिसके कथन संक्षेप में हैं कि वर्तमान वाद धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के अंतर्गत विचाराधीन है, जिसमें शिकायतकर्ता नरेश कुमार धामा द्वारा अभियुक्ता राजदास हाइट्स एवं अन्य के विरुद्ध कार्यवाही प्रारम्भ की गई है। यह वाद धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के अंतर्गत विचाराधीन है। शिकायतकर्ता ने अभियुक्ता के विरूद्ध पेश किया गया चैक को आधार बनाकर यह वाद दाखिल किया गया है। वाद में प्रस्तुत चैक संख्या 071315, खाता संख्या 06305010000150, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, शाखा गाजियाबाद 201012 का है। इंडस्ट्रियल एरिया, साहिबाबाद, उक्त चैक अभियुक्ता द्वारा शिकायतकर्ता को कभी भी जारी नहीं किया गया। उक्त चैक अभियुक्ता के पास से गायब हो गया था। शिकायतकर्ता, जो अभियुक्ता का देवर है, प्रायः उसके घर आता–जाता था और उसी दौरान उसने चैक चोरी कर लिया। चैक गुम/चोरी होने पर अभियुक्ता ने अपने बैंक को उक्त चैक पर STOP MYMENT का निर्देश दिनांक 29/6/20 दे दिया था। शिकायतकर्ता ने चोरी किए गए चैक का दुरुपयोग करते हुए चैक के Payee Name में अवैध एवं फर्जी रूप से "Dhama" शब्द जोडकर पहले से लिखे "Naresh Kumar" को बदलकर "Naresh Kumar Dhama" कर दिया. जो अलग स्याही. अलग हस्तलिपि तथा अलग पेन प्रेशर में है। जिससे चैक का भुगतान अपने नाम पर फर्जी तरीके से कराया जा सके। यह परिवर्तन विभिन्न स्याही, भिन्न हस्तलिपि, अलग पेन प्रेशर तथा बाद में किए गए संशोधन से स्पष्ट है, जैसा कि शिकायतकर्ता द्वारा चैक में बदलाव करने से पहले की चैक की फोटो कॉपी से भी परिलक्षित होता है। चैक की फोटो कॉपी इस माननीय कोर्ट के अवलोकन के लिए संलग्न है जिसमें केवल नरेश कुमार लिखा है। जिससे स्पष्ट है कि मूल चैक पर "Naresh Kumar" लिखा था। उसमें बाद में अलग स्याही/अलग हस्तलिपि में "Dhama" शब्द जोड़ा गया है। जोड़ का स्थान व स्याही तथा पेन का दबाव (pen pressure) स्पष्ट रूप से

Digitally signed by MANOJ KUMAR
Date: 2026.07.24 16:49:53 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

असमान व संदिग्ध है। यह परिवर्तन अवैध, अनधिकृत एवं शिकायतकर्ता द्वारा धोखाधड़ी हेतु किया गया है। चूंकि चैक में नाम का परिवर्तन सबसे महत्वपूर्ण व मूलभूत तत्व है, अतः यह शिकायतकर्ता द्वारा किया गया गंभीर फर्जीवाड़ा (Forgery) तथा अवैध परिवर्तन है, जिसकी पुष्टि केवल वैज्ञानिक परीक्षण (FSL Examination) से ही संभव है। चैक पर किए गए इस अवैध परिवर्तन की पुष्टि हेतु चैक को वैज्ञानिक परीक्षण (हस्तलिपि, स्याही, दबाव, स्ट्रोक आदि) के लिए फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, उत्तर प्रदेश, निवाडी, गाजियाबाद भेजा जाना आवश्यक है। धारा 45 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अनुसार विशेषज्ञ राय (Expert Opinion) न्यायालय में पूर्णतः ग्राहा है, और ऐसे मामलों में FSL रिपोर्ट न्याय केवए अत्यंत आवश्यक है। चैक को FSL भेजे बिना इस वाद का न्यायसंगत, निष्पक्ष एवं विधिसम्मत निर्णय संभव नहीं है। उक्त परिवर्तन स्पष्ट रूप से भौतिक परिवर्तन (Material Alteration) है और धारा 87 परक्राम्य लिखत अधिनियम के अंतर्गत चैक को शून्य (void) बना देता है, क्योंकि यह परिवर्तन अभियुक्ता की सहमति के बिना किया गया है। फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की अधिकृत सूची के अनुसार, गाजियाबाद एफएसएल (निवाड़ी) गाजियाबाद तथा उसके समीपवर्ती जनपदों, जिनमें बागपत भी शामिल है, का अधिकृत प्रादेशिक प्रयोगशाला है। यह उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित क्षेत्रीय FSL है। इसमें प्रश्नगत दस्तावेज/लिखावट/जालसाजी जांच इकाई स्थापित है। चैक में किए गए परिवर्तन, एवं डिफरेंस, पेन प्रेशर, स्ट्रोक एनालिसिस, एडेड वर्ड्स, कटिंग ओवरराइटिंग, Material Alteration आदि की विशेषज्ञ जाँच यहीं की जाती है। बागपत जिला इसी FSL के अधिकार क्षेत्र में आता हैं। अतः विवादित चैक को हस्तलिपि, स्याही तथा सामग्री–परिवर्तन (Material Aleration) की वैज्ञानिक जाँच हेतु गाजियाबाद एफएसएल, निवाड़ी भेजा जाना न्यायहित में आवश्यक है। चैक को FSL भेजे बिना इस वाद का न्यायसंगत, निष्पक्ष एवं विधिसम्मत निर्णय संभव नहीं है।

3. उक्त प्रार्थनापत्र के विरूद्ध परिवादी द्वारा आपत्ति करते हुये कथन किया है कि विपक्षी द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांकित 01.12.2025 पूर्णतः खण्डित होने योग्य है तथा नियम विरूद्ध है और वाद को लम्बित करने के उददेश्य से प्रस्तुत किया गया है। वास्तविकता यह है कि विपक्षी पहले से ही अत्यन्त शातिर व चालाक किस्म की है और परिवादी विपक्षी की सहमति से बतौर पम्प मालिक के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता था तथा परिवादी विपक्षी का पुर्नविवाह पश्चात पति भी है और न्यायालय को गुमराह करने के उददेश्य से देवर बताया है। विपक्षी द्वारा परिवादी को जब उक्त चैक दिया गया तो उस समय परिवादी तथा और उभय पक्ष की माँ/सास नीचे कमरे में बैठे हुए थे तथा उक्त चैक को विपक्षी का पुत्र हिमान्शु एवं नमन चौधरी साथ मिलकर ऊपर वाले कमरे से भरकर हिमान्शु लाया था और विपक्षी द्वारा परिवादी के समक्ष ही हस्ताक्षर करके परिवादी को दिया था। चैक को जिस प्रकार अंकित किया गया है वह विपक्षी के पुत्रगण द्वारा अंकित किया गया है। दूसरे पुत्र नमन चौधरी ने उक्त चैक को परिवादी को सौंपते हुए अपने मोबाईल से वीडियो भी बनायी थी। जो विपक्षी द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की, इससे स्पष्ट है कि विपक्षी की परिवादी को चैक देने पूर्व ही सुनियोजित, बदनीयती थी। जिस कारण उक्त चैक को विवादित बनाने का प्रयास किया जा रहा है। उक्त चैक सं० 071315 की विपक्षी के लेजर में भी एन्ट्री है। इसलिए विपक्षी द्वारा यह कहना गलत है कि उक्त चैक चोरी हो गया था। विपक्षी द्वारा कागजात सूची से प्रस्तुत स्टॉप पेयमैन्ट की छायाप्रति में कहीं भी बैंक शाखा की मोहर अंकित नहीं है और न ही बैंक अधिकारियों के हस्ताक्षर ही है। इसलिए इस प्रपत्र को सत्यता के आधार पर ग्रहण नहीं किया जा सकता। विपक्षी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 01.12.2025 में विपक्षी द्वारा बनाये गये अपने हस्ताक्षर हिन्दी में बनाये गये है तथा विपक्षी द्वारा परिवादी को सौपें गये उक्त चैक पर हस्ताक्षर अंग्रेजी में बनाये गये है। जिससे विपक्षी की शातिरता और चालाकी इसी से साबित होती है। चैक में जो भी लिखावट जिस प्रकार से की गयी है वह विपक्षी व उसके पुत्र हिमान्शु व नमन ने मिलकर की है। जिसके लिए विपक्षी व उसके पुत्रगण हिमान्शु व नमन के हस्ताक्षर की जांच करायी जानी नितान्त आवश्यक एंव न्यायहित में है। अतः उक्त तथ्यों एवं कारणो के आधार पर विपक्षी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खण्डित करने के आदेश पारित किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

4. विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उभयपक्ष को सुनकर आलोच्य आदेश दिनांकित 13.02.2026 पारित करते हुए निगरानीकर्ता/अभियुक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 39 भारतीय साक्ष्य अधिनियम एवं धारा 231 बी.एन.एस.एस. दिनांकित 01.12.2025 को

निरस्त किया गया। उक्त आलोच्य आदेश के विरूद्ध निगरानीकर्ता/अभियुक्ता द्वारा यह निगरानी योजित की है।

5. निगरानी कागज संख्या 3 अ मय शपथपत्र प्रस्तुत करते हुए निगरानी में लिए गए आधार संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 13.02.2026 खिलाफ कानून एवं काल्पनिक तथ्यों पर आधारित है जिसका कानून में कोई महत्व नहीं है। अवर न्यायालय द्वारा प्रार्थनापत्र का सही प्रकार से अध्ययन, अवलोकन किए बिना विधि विरूद्ध आदेश पारित किया गया है। निगरानीकर्ता द्वारा प्रार्थनापत्र में जो कथन किए गए हैं वे सत्य कथनों पर आधारित हैं। सत्यता यह है कि वर्तमान वाद धारा 138 पराक्रम्य लिखत अधिनियम के अन्तर्गत विचाराधीन है जिसमें परिवादी नरेश कुमार धामा द्वारा अभियुक्ता राजदास हाइट्स एवं अन्य के विरुद्ध कार्यवाही प्रारम्भ की गई है। जिसमें निगरानीकर्ता के विरूद्ध पेश किया गया चैक को आधार बनाकर यह वाद दाखिल किया गया है। परिवाद में प्रस्तुत चैक संख्या 071315, खाता संख्या 06305010000150, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, शाखा गाजियाबाद 201012 का है। उक्त चैक निगरानीकर्ता द्वारा परिवादी को कभी भी जारी नहीं किया गया। उक्त चैक निगरानीकर्ता के पास से गायब हो गया था। परिवादी, जो निगरानीकर्ता का देवर है, प्रायः उसके घर आता–जाता था और उसी दौरान उसने चैक चोरी कर लिया। चैक गुम/चोरी होने पर निगरानीकर्ता ने अपने बैंक को उक्त चैक पर STOP PAYMENT का निर्देश दिनांक 29.6.20 दे दिया था। परिवादी ने चोरी किए गए चैक का दुरुपयोग करते हुए चैक के Payee Name में अवैध एवं फर्जी रूप से "धामा" शब्द जोडकर पहले से लिखे "नरेश कुमार" को बदलकर "नरेश कुमार धामा" कर दिया जो अलग स्याही, अलग हस्तलिपि तथा अलग पेन प्रेशर में है। जिससे चैक का भुगतान अपने नाम पर फर्जी तरीके से कराया जा सके। यह परिवर्तन विभिन्न स्याही, भिन्न हस्तलिपि, अलग पेन प्रेशर तथा बाद में किए गए संशोधन से स्पष्ट है, जैसा कि परिवादी द्वारा चैक में बदलाव करने से पहले की चैक की फोटो कॉपी से भी परिलक्षित होता है। चैक की फोटो कॉपी इस कोर्ट के अवलोकन के लिए संलग्न है जिसमें केवल नरेश कुमार लिखा है। जिससे स्पष्ट है कि मूल चैक पर नरेश कुमार लिखा था। उसमें बाद में अलग स्याही/अलग हस्तलिपि में धामा शब्द जोड़ा गया है। जोड़ का स्थान व स्याही तथा पेन का दबाव स्पष्ट रूप से असमान व संदिग्ध है। यह परिवर्तन अवैध, अनधिकृत एवं शिकायतकर्ता द्वारा धोखाधड़ी हेतु किया गया है। चूंकि चैक में नाम का परिवर्तन सबसे महत्वपूर्ण व मूलभूत तत्व है, अतः यह शिकायतकर्ता द्वारा किया गया गंभीर फर्जीवाड़ा तथा अवैध परिवर्तन है, जिसकी पुष्टि केवल वैज्ञानिक परीक्षण से ही संभव है। चैक पर किए गए इस अवैध परिवर्तन की पुष्टि हेतु चैक को वैज्ञानिक परीक्षण (हस्तलिपि, स्याही, दबाव, स्ट्रोक आदि) के लिए फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, उत्तर प्रदेश, निवाडी, गाजियाबाद भेजा जाना आवश्यक है। धारा 45 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अनुसार विशेषज्ञ राय न्यायालय में पूर्णतः ग्राहा है, और ऐसे मामलों में FSL रिपोर्ट न्याय केवए अत्यंत आवश्यक है। चैक को FSL भेजे बिना इस वाद का न्यायसंगत, निष्पक्ष एवं विधिसम्मत निर्णय संभव नहीं है। उक्त परिवर्तन स्पष्ट रूप से भौतिक परिवर्तन है जो धारा 87 परक्राम्य लिखत अधिनियम के अंतर्गत चैक को शून्य बना देता है, क्योंकि यह परिवर्तन निगरानीकर्ता की सहमति के बिना किया गया है। फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की अधिकृत सूची के अनुसार, गाजियाबाद एफएसएल (निवाड़ी) गाजियाबाद तथा उसके समीपवर्ती जनपदों, जिनमें बागपत भी शामिल है, का अधिकृत प्रादेशिक प्रयोगशाला है। यह उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित क्षेत्रीय FSL है। इसमें प्रश्नगत दस्तावेज/लिखावट/जालसाजी जांच इकाई स्थापित है। चैक में किए गए परिवर्तन एवं इंक डिफरेंस, पेन प्रेशर, स्ट्रोक एनालिसिस, एडेड वर्ड्स, कटिंग ओवरराइटिंग आदि की विशेषज्ञ जाँच यहीं की जाती है। बागपत जिला इसी FSL के अधिकार क्षेत्र में आता हैं। अतः उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर निगरानीकर्ता की निगरानी स्वीकार करते हुए अवर न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांकित 13.02.2026 को खंडित किए जाने की याचना की गयी है।

6. विपक्षी संख्या 1 की ओर से निगरानी के विरूद्ध आपत्ति कागज संख्या 9 ब प्रस्तुत करते हुए निगरानी निरस्त किए जाने की याचना की गयी है।

7. मेरे द्वारा उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण व राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी को सुना गया तथा पत्रावली का परिशीलन किया गया।

8. न्यायालय को प्रथमतः यह देखना है कि विद्वान परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांकित 13.02.2026 में कोई वैधानिक त्रुटि है, अथवा नहीं।

9. पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि विचारण न्यायालय द्वारा निगरानीकर्ता का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 39 भारतीय साक्ष्य अधिनियम एवं धारा 231 बी.एन.एस.एस. दिनांकित 01.12.2025 के द्वारा निरस्त किया गया है। जिसके विरूद्ध यह निगरानी योजित की गयी है।

10. निगरानीकर्ता द्वारा निगरानी में यह तर्क दिया गया है कि अवर न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांक 13.02.2026 विधि विरूद्ध एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के विपरीत है तथा प्रश्नगत आदेश पारित करते समय अवर न्यायालय द्वारा अपने न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग नहीं किया है। अतः प्रश्नगत आदेश निरस्त किया जाए।

11. उक्त तर्क के संबंध में उल्लेखनीय है कि विचारण न्यायालय द्वारा अपने प्रश्नगत आदेश दिनांकित 13.02.2026 में स्पष्ट है कि पत्रावली का अवलोकन करने के उपरान्त ही आलोच्य आदेश पारित किया गया है जिसका उल्लेख विचारण न्यायालय द्वारा अपने आलोच्य आदेश में स्पष्ट रूप से वर्णित भी किया गया है। अतः उक्त तर्क बलहीन है।

12. पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि परिवादी/विपक्षी संख्या 1 द्वारा उक्त परिवाद चैक सं० 071315 की बाबत दाखिल किया गया है। निगरानीकर्ता/अभियुक्ता का कथन है कि वाद में प्रस्तुत चेक संख्या 071315, खाता संख्या 06305010000150, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, शाखा गाजियाबाद 201012 का है। इंडस्ट्रियल एरिया, साहिबाबाद, उक्त चेक निगरानीकर्ता/अभियुक्ता द्वारा परिवादी/विपक्षी संख्या 1 को कभी भी जारी नहीं किया गया। उक्त चेक अभियुक्ता के पास से गायब हो गया था। परिवादी/विपक्षी संख्या 1, जो निगरानीकर्ता का देवर है।

13. जिसके विपरित परिवादी/विपक्षी संख्या 1 का कथन है कि निगरानीकर्ता/अभियुक्ता पहले से ही अत्यन्त शातिर व चालाक किस्म की है और परिवादी/विपक्षी संख्या 1, निगरानीकर्ता/अभियुक्ता की सहमति से बतौर पम्प मालिक के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता था तथा परिवादी/विपक्षी संख्या 1, निगरानीकर्ता/अभियुक्ता का पुर्नविवाह पश्चात पति भी है जबकि निगरानीकर्ता न्यायालय को गुमराह करने के उददेश्य से उसे देवर बता रही है। निगरानीकर्ता/अभियुक्ता द्वारा परिवादी/विपक्षी संख्या 1 को जब उक्त चैक दिया गया तो उस समय परिवादी/विपक्षी संख्या 1 तथा और उभय पक्ष की माँ/सास नीचे कमरे में बैठे हुए थे तथा उक्त चैक को निगरानीकर्ता का पुत्र हिमान्शु एवं नमन चौधरी साथ मिलकर ऊपर वाले कमरे से भरकर हिमान्शु लाया था।

14. पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत प्रकरण में चैक पर फर्जी रूप से नरेश कुमार के नाम के आगे धामा लिखे जाने का विवाद है जिस कारण उक्त चैक को एफ.एस.एल. भेजे जाने की याचना की गयी है।

15. उक्त संबंध में उल्लेखनीय है कि निगरानीकर्ता द्वारा विवादित चैक पर हस्ताक्षर के सम्बन्ध में कोई कथन नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त निगरानीकर्ता द्वारा यह भी नहीं बताया है कि चैक पर पूर्व हस्ताक्षर थे या नहीं। चैक पर "नरेश कुमार" लिखा होना निगरानीकर्ता द्वारा स्वीकार किया है। यह भी उल्लेखनीय है कि निगरानीकर्ता द्वारा अपने प्रार्थनापत्र एवं निगरानी में परिवादी/विपक्षी संख्या 1 को अपना देवर बताया गया है जबकि परिवादी/विपक्षी संख्या 1 द्वारा इस संबंध में बताया गया है कि वह, निगरानीकर्ता/अभियुक्ता का पुर्नविवाह पश्चात पति भी है जबकि निगरानीकर्ता न्यायालय को गुमराह करने के उददेश्य से उसे देवर बता रही है। इस संबंध में परिवादी/विपक्षी संख्या 1 की ओर से निगरानी में दी गयी अपनी आपत्ति के साथ छायाप्रति जाँच आख्या उपजिलाधिकारी खेकड़ा दिनांकित 25.07.2006 एवं छायाप्रति जिला सैनिक कल्याक एवं पुनर्वास मेरठ दिनांकित 08.12.2020 प्रस्तुत की गयी है जिनके अवलोकन से विदित होता है कि निगरानीकर्ता द्वारा अपने पूर्व पति स्व. लाँस नायक राजेन्द्र सिंह के भाई नरेश (परिवादी/विपक्षी संख्या 1) से शादी कर ली है तथा उसके द्वारा अपने देवर/परिवादी से पुनर्विवाह किये जाने के कारण उसकी पेंशन बंद हो गयी है। इस प्रकार निगरानीकर्ता द्वारा न्यायालय के समक्ष उक्त संबंध में सही तथ्यों को छुपाते हुए एवं गलत तथ्य रखते हुए प्रार्थनापत्र एवं निगरानी योजित की गयी है।

16. जहाँ तक विवादित चैक पर नरेश कुमार के नाम के आगे धामा लिखे जाने के कारण एफ.एस.एल. में जाँच हेतु उक्त चैक को भेजे जाने का प्रश्न है, तो उक्त संबंध में उल्लेखनीय है कि विवादित चैक पर हस्ताक्षर के सम्बन्ध में निगरानीकर्ता द्वारा कोई कथन नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त निगरानीकर्ता द्वारा यह भी नहीं बताया है कि चैक पर पूर्व हस्ताक्षर थे या नहीं।

चैक पर नरेश कुमार लिखा होना निगरानीकर्ता द्वारा स्वीकार किया है। अतः मात्र उक्त चैक पर धामा लिखा जाने से उसे जाँच हेतु एफ.एस.एल. भेजे जाने का उचित आधार प्रतीत नहीं होता है। यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त चैक सं० 071315 की निगरानीकर्ता के लेजर में भी एन्ट्री है। जिसकी प्रति भी परिवादी/विपक्षी संख्या 1 द्वारा निगरानी में अपनी आपत्ति के साथ संलग्न की गयी है, इसलिए निगरानीकर्ता द्वारा यह कहना भी सही प्रतीत नहीं होता है कि उक्त चैक चोरी हो गया था। अतः विचारण न्यायालय द्वारा अपने आलोच्य आदेश में दिया गया निष्कर्ष किसी भी प्रकार से त्रुटिपूर्ण होना परिलक्षित नहीं होता है। इस प्रकार विचारण न्यायालय द्वारा प्रश्नगत आलोच्य आदेश पारित करते हुए न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग किया गया है तथा अपने में निहित क्षेत्राधिकार संबंधी कोई त्रुटि कारित नहीं की गयी है।

17. **माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था (2012) 9 SCC 468 SC अमित कपूर बनाम रमेशचन्द्र** में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि पुनरीक्षण न्यायालय को परीक्षण न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने का तब अधिकार प्राप्त होता है जब परीक्षण न्यायालय द्वारा अपनी स्थानीय अधिकारिता से बाहर जाकर कोई निष्कर्ष या आदेश पारित किया गया हो, अथवा मनमाने ढंग से आदेश पारित किया गया हो। पुनरीक्षण न्यायालय की शक्तियाँ बहुत ही सीमित होती हैं। उपरोक्त परिस्थितियों में ही पुनरीक्षण न्यायालय अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकती है, अन्यथा नहीं। पुनरीक्षण न्यायालय को यह क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है कि वह परीक्षण न्यायालय द्वारा दिये गये निष्कर्ष को निरस्त कर अपना विचारण उनके स्थान पर प्रतिस्थापित कर दे। पुनरीक्षण न्यायालय को मात्र यह देखना होता है कि उपरोक्त आदेश में कोई अवैधानिकता या अनियमितता है, अथवा नहीं। पुनरीक्षण न्यायालय मात्र संदेह के आधार पर प्रश्नगत आदेश में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है।

18. अतः आलोच्य आदेश में किसी तरह की क्षेत्राधिकार संबंधी त्रुटि, अनियमित्ता एवं अवैधता दर्शित नहीं होती है। आलोच्य आदेश में पुनरीक्षण शक्तियों का प्रयोग करते हुए हस्तक्षेप किए जाने का पर्याप्त आधार नहीं पाया जाता है। तदुनसार निगरानी निरस्त होने योग्य है तथा आलोच्य आदेश पुष्ट होने योग्य है।

<u>आदेश</u>

दाण्डिक निगरानी संख्या 127/2026 श्रीमति मुनेश देवी बनाम नरेश धामा उर्फ नरेश चौधरी आदि निरस्त की जाती है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांकित 13.02.2026 पुष्ट किया जाता है।

आदेश की एक प्रति विचारण न्यायालय को अविलम्ब प्रेषित की जाए।

निगरानी की पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफतर की जाए।

दिनांकः 24.07.2026

(मनोज कुमार–III),
सत्र न्यायाधीश,
बागपत।

यह निर्णय आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर उदघोषित किया गया।

दिनांकः 24.07.2026

(मनोज कुमार–III),
सत्र न्यायाधीश,
बागपत।